संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक के निर्धारणार्थ विज्ञापन प्रारूप प्रदेश संस्करण में शासकीय दर से दिनांक 24.09.2026 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशनार्थ

विज्ञापन प्रारूप

उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम्

(उत्तराखण्डसर्वकारः)

संस्कृतभवनम्, रानीपुरझालं, ज्वालापुरं, हरिद्वारम्-249407(उत्तराखण्डः)

सरल संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27

आवश्यक सूचना (साक्षात्कार Walk in Interview)

विज्ञापन सं. 04/शोध/उ.सं.सं./2026-27, दिनांक 24 सितम्बर 2026

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं संस्कृतमय वातावरण निर्माण के उद्देश्य से सरल संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27 के अन्तर्गत **संस्कृत सम्भाषण में दक्ष एवं प्रौद्योगिकी संचालन में कुशल 01 संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक की नितान्त अस्थायी रूप में आवश्यकता है।** प्रशिक्षक की योग्यता एवं प्रतिमाह रु.35,000/- (रूपये पैंतीस हजार मात्र) मानदेय आदि के सम्बन्ध में **महत्त्वपूर्ण सूचना एवं आवेदनपत्र प्रारूप** संस्थानम् की वेबसाइट uksa.uk.gov.in में अंकित हैं।

अतः उक्तानुसार योग्य एवं इच्छुक प्रतिभागी मौखिक परीक्षा साक्षात्कार (**Walk in Interview**) हेतु संलग्न आवेदनपत्र की 01 पूरित प्रति, शैक्षणिक आत्मवृत्त (**BIO DATA**), आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5X4.5से.मी.) सहित दिनांक 06.10.2026, मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।

(प्रो. विनय कुमार)
सचिव

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

सरल संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026–27 के अन्तर्गत संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक के निर्धारणार्थ

महत्त्वपूर्ण सूचना (सितम्बर 2026)

1. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाये जाने के उद्देश्य से एकवर्षीय सरल संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27 का संचालन किया जाना निर्धारित है।
2. **सरल संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षण (ऑनलाइन व आफलाइन) के अन्तर्गत समाज के विविध वर्ग व क्षेत्रों के लोगों को संस्कृत सम्भाषण सिखाने में योग्य एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष एवं प्रौद्योगिकी संचालन में कुशल नितान्त अस्थायी रूप में एक संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक की आवश्यकता है।**
3. संस्थानम् में किसी भी परियोजना के संचालन हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं तथा न ही किसी परियोजना संचालन में स्थायी नियुक्ति दी जाती है तथा न ही संस्थानम् में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षक/समन्वयक के पद सृजित हैं।
4. अतः संस्कृत सम्भाषण शिक्षण हेतु **सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक** के निर्धारण की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप में एक वर्षीय परियोजना 2026-27 (31.03.2027 तक) के संचालन के लिए की जा रही है।
5. **संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य प्रतिभागी मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार Walk in Interview) हेतु संलग्न आवेदनपत्र की पूरित 01 प्रति, शैक्षणिक आत्मवृत्त (BIO DATA), मूल आधार कार्ड व स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5x4.5 से.मी.) सहित दिनांक 06.10.2026, मंगलवार की प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।**
6. प्रतिभागी के सफल घोषित होने पर पूरित आवेदन पत्र के विवरणानुसार समस्त अंकपत्र व वांछित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति का 01 सैट काउंसिल के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान कराते हुये उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार वांछित प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध न होने की स्थिति में सफल प्रतिभागी घोषित होने पर भी प्रशिक्षक निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत अनर्ह माना जायेगा।
7. संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27 के अन्तर्गत मुख्य कार्य है- संस्कृत सम्भाषण शिविर पद्धति के अनुसार कक्षाओं का ससमय संचालन करना, संस्कृत सम्भाषण हेतु ई-माध्यम को समृद्ध करना, ई-कन्टेंट बनाना, प्रतिभागियों का पंजीकरण, संस्कृत टंकण, डाटा संकलन करना तथा राज्य के किसी भी जनपद, विकासखण्ड व ग्राम में जाकर भौतिक रूप में संस्कृत सम्भाषण शिविर का संचालन किया जाना एवं

लोगों को संस्कृत सम्भाषण सिखाना, संस्कृत का प्रचार-प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, नैतिक शिक्षा का अवबोध कराना तथा प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाना।

8. **प्रशिक्षक की योग्यता**- प्रशिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शास्त्री / बी.ए. स्नातक उपाधि संस्कृत विषय से हो तथा मुख्य रूप से संस्कृत सम्भाषण व प्रौद्योगिकी कार्य में अनिवार्य रूप से दक्ष होना चाहिए एवं संस्कृत सम्भाषण शिविर पद्धति के अनुसार अध्यापन व प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में कुशल होना चाहिए तथा सम्भाषण कार्य प्रत्यक्ष व ई- माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। अतः स्वयं का तकनीकी संसाधन (लैपटॉप आदि) उपलब्ध होना चाहिए।
9. प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार का राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से अनुदान/ मानदेय/ वेतन प्राप्त न किया जा रहा हो। उक्त के सम्बन्ध में एवं आवेदन पत्र के क्रमांक 14 में उल्लिखित विवरण का रु.10/- का शपथ पत्र साक्षात्कार में सफल घोषित होने पर देय होगा।
10. प्रतिभागी की आयु दिनांक 01.10.2026 तक 45 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
11. मौखिक परीक्षण हेतु संस्कृतवाङ्मय, विषयज्ञान, व्याकरण एवं सम्भाषण दक्षता, लेखनकौशल (हिन्दी से संस्कृत व संस्कृत से हिन्दी अनुवाद) प्रौद्योगिकी क्रियात्मक अनुभव एवं उत्तराखण्ड सामान्यज्ञान आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा मौखिक परीक्षण हेतु अधिमान अंकों का निर्धारण - विषयज्ञान व व्याकरण 30 अंक, संस्कृतसम्भाषण दक्षता 40 अंक, अध्यापन-प्रशिक्षण कौशल 30 अंक सहित 100 अंक निर्धारित हैं तथा प्रौद्योगिकी दक्षता के लिए संगणकसंचालन 15 अंक, ई-कण्टेंट निर्माण 15, ई-माध्यम से प्रशिक्षण कौशल 20 सहित कुल 50 अंक निर्धारित हैं।
12. प्रतिभागी को मौखिक परीक्षा (संस्कृत सम्भाषण दक्षता) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं प्रौद्योगिकी दक्षता में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने अनिवार्य हैं। संस्कृत सम्भाषण दक्षता के आधार पर ही साक्षात्कार समिति द्वारा समेकित रूप से सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक के रूप में सफल प्रतिभागी घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. साक्षात्कार के समय प्रतिभागी को ऑफलाइन संस्कृत सम्भाषण कक्षा संचालन (डेमो) हेतु आवश्यक पाठ्यसामग्री तथा ई- माध्यम से संस्कृत सम्भाषण कक्षा संचालन हेतु ई-कण्टेंट (ई-पाठ्यसामग्री) व लैपटॉप लाना अनिवार्य है।
14. संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक हेतु प्रतिमाह रु.35,000/-(रूपये पैंतीस हजार मात्र) मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है।
15. साक्षात्कार में सफल घोषित होने पर प्रतिभागी को संस्कृत सम्भाषण शिविर संचालन से पूर्व यथावश्यक आवासीय प्रशिक्षण करवाया जा सकता, जिसकी व्यवस्था संस्थानम् द्वारा की जायेगी।
16. संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक/सह समन्वयक को उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् के समय-समय पर प्रेषित समस्त निर्देशों/ नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

17. संस्कृत के प्रचार-प्रसार, सम्भाषण शिविर के संचालन, प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन एवं संस्कृतमय वातावरण निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, असत्यता, अनियमितता तथा व्यवहार शून्यता व चारित्रिक न्यूनता पाये जाने पर सचिव, उ.सं.संस्थानम् द्वारा प्रशिक्षक को तत्काल शिक्षण व्यवस्था से निष्कासित किया जायेगा।
18. संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अतः भविष्य में किसी प्रकार के स्थायित्व के लिए किसी भी स्तर से बाध्य नहीं करेगा तथा न ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।
19. उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र संस्थानम् वेबसाईट- uksa.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
20. ईच्छुक प्रतिभागी साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) हेतु दिनांक 06 अक्टूबर 2026, मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में उपस्थित हो सकते हैं।
21. उक्त परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार सचिव, उ.सं.संस्थानम् का होगा, जिसका पालन सबके लिए अनिवार्य होगा।

23/9/26

दिनांक 23.09.2026,

(**प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार**)
सचिव

उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)

सरल संस्कृतसम्भाषण-प्रशिक्षणपरियोजना 2026-27

सम्भाषण प्रशिक्षक-निर्धारणार्थम् आवेदन पत्रम्

अत्र नूतनं छायाचित्रं संस्थाप्य स्वप्रमाणितं करोतु।

(1.) नाम.....(पुरुषः/महिला)

(1.) जन्मतिथिः.....(01.10.2026 दिनाङ्कं यावद् मम आयुः वर्षाणि.....मासः.....दिनानि.....)

(3.) पितुः नाम.....(4.) मातुः नाम.....

(5.) पत्राचार-सङ्केतः.....

.....कूटसंख्या.....

(6.) चलवाणी.....(7.)अणुवाक्(ई-मेल).....

(8.)आधारसंख्या.....(प्रतिकृतिः संयोजनीया)

(9.)स्थायि-पत्रसङ्केतः.....

..... कूटसंख्या.....

(10.) राष्ट्रियता..... (11.) वैवाहिकस्थितिः.....

(12.) **शैक्षिकयोग्यता**- (अधोलिखितानां प्रमाणपत्राणां स्वप्रमाणितप्रतिकृतीः संलग्नाः कुर्वन्तु)

कक्षा	उत्तीर्णतावर्षम्	अनुक्रमाङ्कः	परिषद्/विश्वविद्यालयः	पूर्णाङ्कः	प्राप्ताङ्कः	प्रतिशतं	श्रेणी
पू.म./हाईस्कूल							
उ.म./इण्टर							
शास्त्री/ बी.ए. संस्कृतम्							
आचार्य/एम.ए.संस्कृतम्							
अन्यत्							

(13.) **संस्कृतसम्भाषणदक्षता प्रशिक्षणम्**- (अधोलिखितानां प्रमाणपत्राणां स्वप्रमाणितप्रतिकृतयः संयोजनीयाः) यद्यस्ति तदा।

प्राप्तप्रशिक्षणस्य नाम	वर्षम् / मासः	संस्था नाम	अभ्युक्तिः

(14.) अहं शपथं करोमि यत् उपर्युक्तं सम्पूर्णं विवरणं सत्यम् अस्ति। अहं संस्कृतसम्भाषणे संस्कृतसम्भाषणस्य प्रशिक्षणे प्रौद्योगिकी सञ्चालने च दक्षः अस्मि। अस्मिन् सन्दर्भे महत्त्वपूर्ण-दिशा-निर्देशान् सम्यक्तया पठितवान्/पठितवती, तत्र सर्वेषां नियमबिन्दूनां च अङ्गीकारः अस्ति। अहम् एतदपि जानामि यत् इयम् एकवर्षीया 'सरलसंस्कृतसम्भाषणप्रशिक्षणपरियोजना 2026-27' अस्ति। संस्थाने एतन्नामकं पदम् अपि नास्ति। अतः अहं प्रशिक्षक/सहसमन्वयकरूपेण स्थायित्वविषये कदापि न्यायालये वादं न करिष्यामि।

दिनाङ्कः **प्रतिभागि-हस्ताक्षराणि**

23/9/26